न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 115/2019 निर्णय दिनांक :– 13/6/2019

1. भगवान सहाय पुत्र छीतर यादव जाति अहिर ग्राम फतेहपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर।

....वादी

बनाम

1. छीतर पुत्र श्री मोहरिया जाति अहिर ग्राम फतेहपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

.... प्रतिवादी

<u>दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

वादी कि और से वादपत्र सेवामे निम्न प्रकार पेश किया गया :–

वादी की पैतृक कब्जे काश्त व खातेदारी कि भूमि की कृषि आरजी के खसरा नंम्बर 678 रकबा 0.38 हेक्टयर खसरा नंम्बर 682 रखबा 0.39 रकबा हेक्टयर खसरा नम्बर 700/1 रकबा 0.13 खसरा नंम्बर 734/2 रखबा 0.03 रकबा किता 4 कुल रकबा 0.93 वाके ग्राम फतेहपुरावास वाटिका तहसील चाकसू जिला जयपुर राज. में स्थित है। जिसको वादग्रस्त आराजी से सम्बोधित किया गया है।

वादी का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

Signature Not Verified

मोहरिया ([illegible])

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:15:03 IST
Reason: SelfAttested

↓
छीतर [illegible] 1)
↓
भगवान सहाय ([illegible])

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपरोक्त खानदान सजरा मोहरिया के जायन्दा वारिस उत्तराधिकारी है। इसके अलावा कोई वारिस व उत्तराधिकार नहीं है ।वादी के दादा स्व0 मोहरिया कि छोडी हुई भूमि है। जो पैतृक भूमि होने से वादी का उक्त आराजी से जन्म जात हित निहित है। तथा जो वाद में वादी है। जिसके वाद लाने का कानूनी अधिकार है। मोहरिया के पौत हो जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 के नाम इन्द्राज दर्ज है। विवादित आराजी का जमाबन्दी मे वादी के दादा जी स्व0 मोहरिया पुत्र सुखदेवा के नाम राजस्व रिकार्ड में सम्वत 2032 में दर्ज थी तब से वादी अपने दादा मोहरिया के नाम से ही वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। तथा वादी भोला भाला अनपढ़ काश्तकार व्यक्ति थे जो काश्त का काम करते रहते थे जिसका नाजायज फायदा उठाते हुये राजस्व कर्मचारियों से साठ गाठ कर वादग्रस्त आराजी को स्वंय से अपने नाम करवा लिया। जो कानूनी अवैध्य व प्रभाव शुन्य है जिसे वादी वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 01 के नाम खातेदारी भूमि में से वादी को 1/3 अपने नाम हक व हिस्से की खातेदारी अपने नाम घोषणा करावें तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें जिसके वादी कानूनन अधिकारी है। वादी तो अपने दादा मोहरिया के समय से वादग्रस्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी तो काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। वादी को उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम की जानकारी भी नहीं थी न कभी प्रतिवादी संख्या 01 ने बताया [illegible] भूमि। राजस्व रिकार्ड के कर्मचारीयों से सात–गाठ [illegible] जानकारी वादी को भी नही पड़ने दिया । वादी तो शुरू से आ[illegible] तक काश्त करते चले आ रहे

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:15:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

थे परन्तु दिनांक 20.05.2019 को प्रतिवादी संख्या 01 ने वादी को स्पष्ट कहा कि ये भूमि पहले मेरे नाम चल रही है। आप उक्त वादग्रस्त भूमि तुम्हारे नाम भी नही है। न ही तुम्हारे नम करावाउंगा। तुम चाहे सो कर लेना। वादी ने बहुत समझाया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने सरेआम कहा कि तुम राजी खुशी कब्जा छोड देना। वरना में पूरी भूमि को दीगर व्यक्तियों को बेचान कर तुम्हें बेदखल करवा कर रहँगा। तुम चाहे सो कर लेना। प्रतिवादी धमकिया देने से वादकारण उत्पन्न होकर निरंतर जारी है। वादी के लिये आवश्यक हो गया कि वो विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम खातेदारी भूमि में से प्रतिवादी संख्या 01 को अपने नाम हक व हिस्सा की खातेदारी घोषणा करावें तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें । जिसे वो वादी के कब्जे काश्त में किसी तरह कि दखलदाजी एवं मजाहमत पैदा नहीं करे ना ही अन्य किसी से करावें। वादी के लिये वादकारण दिनांक 20.05.2019 को प्रतिवादी संख्या 01 ने स्पष्ट कहा कि जमीन पहले मेरे नाम चली आ रही थी तुम्हारा उक्त भमि पर कोई लेना देना नही है। तुम्हारे नाम जमीन भी नहीं है। तुम कब्जा छोड दो वरना मै। दीगर व्यक्तियो को संपूर्ण भूमि का बेचान कर तुम्हे बेदखल करवा कर रहुगा। तुम चाहे सो कर लेना इत्यादी धमकिया देने पर उत्पन्न हुआ। जिसे वाद श्रीमानजी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ । प्रतिवादी सख्या 02 भूमि धारी होने से पक्षकार बनाया गया है इसके खिलाफ रिलिफ नहीं चाही गई है। वाद का वाद अन्दर मियाद व निश्चित न्याय शुल्क पर पेश है। यदि विवादित आराजी श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को प्राप्त है। वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित आराजी के खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:15:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

नम्बर 678 रकबा 0.38 हेक्टयर खसरा नंम्बर 682 रखबा 0.39 रकबा हैक्टयर खसरा नंम्बर 700/1 रकबा 0.13 खसरा नंम्बर 734/2 रकबा 0.03 रकबा किता 4 कुल रकबा 0.93 वाके ग्राम फतेहपुरावास वाटिका तहसील चाकसू जिला जयपुर राज में खसरा नम्बर 682 रखबा 0.39 हैक्टयर में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम खातेदारी भूमि में से वादी को 0.31 हैक्टयर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। तथा इस दुरूस्ती का अर्कन राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जावे।

दावा वकील वादी के द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया तो प्रतिवादी हाजीर अदालत की भावना से राजीनामा पेश किया गया जो राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया राजीनामा इस प्रकार पेश किया गया कि पक्षकार लोक अदालत की भावना से खसरा नम्बर 682 रकबा 0.39 है0 में से 0.31 है0 भूमि देने में मुख्य प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है, और हमारे दोनो पक्षो के मध्य राजीनामा हो गया है, राजीनामा के आधार पर दावा डिक्री कर दिया जावे।

राजीनामा पेश होने पर वादी वकील की बहस सुनी तो वादी वकील ने मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना जाहिर किया व स्वयं प्रतिवादी 1 के द्वारा भी लोक अदालत की भावना से राजीनामा डिक्री किये जाने में सहमति जाहिर की गयी।

वादी ने दावे के समर्थन में ग्राम फतेहपुरावास वाटिका की जमाबन्दी संवत 2072–75 खाता संख्या 45 पेश [illegible] बन्दी फतेहपुरावास वाटिका की जमाबन्दी संवत 2029–[illegible] पेश की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:15:03 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी की बहस पर गौर किया व दावा व प्रस्तुत जमाबंदी एवं पत्रावली का एवं राजीनामें का अवलोकन किया गया तो वादग्रस्त भूमि वादी के दाता म्हौरू से विरासत में वादी के पिता के नाम प्रस्तावित जमाबंदी अनुसार आयी है। वादग्रस्त भूमि पेतृक भूमि होने से वादी का जन्मजात हित निहित है। जिसमें वादी हक से घोषणा कराने का अधिकारी होने व वादी व प्रतिवादी के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने से दावा वादी लोक अदालत की भावना मुताबिक राजीनामा डिकि किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 678 रकबा 0.38 है0, 682 रकाब 0.39 है0 100/1 रकबा 0.13 है0 734/2 रकबा 0.03 है0 किता 4 रकबा 0.93 है0 वाके ग्राम फतेहपुरावास वाटिका तहसील चाकसू में से खसरा नम्बर 682 रकबा 0.39 है0 में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी भूमि में से वादी को 0.31 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस प्रकार वादी को खसरा नम्बर 682 रकबा 0.39 है0 में से 0.31 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष भूमि पूर्वानुसार यथावत रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

चाकसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:15:03 IST
Reason: SelfAttested

D:\Office\ORT\BHAGWAN SAHAY VS CHITTAR.docx